104

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय माननीय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर, केंप उज्जैन

प्रकरण क0 / 12 नि.

R. 2741-I/12

गोरीशंकर पिता बद्रीलाल जी, जाति छीपा बाडिका, आयु– 60 वर्ष, निवासी– तह. जावद जिला नीमच
...............आवेदक

विरूद्व

1. सुरेन्द्र पिता बद्रीलाल जी जाति छीपा बाडिका आयु– 53 वर्ष निवासी– तारापुर हाल मुकाम भोपाल जिला भोपाल
2. कस्तुरीबाई पति बद्रीलाल जी जाति छीपा बाडिका आयु– 80 वर्ष निवासी– तारापुर हाल मुकाम भोपाल जिला भोपाल
3. श्रीमती लक्ष्मी पति चिरंजीवलालजी जाति छीपा बाडिका आयु– 62 वर्ष निवासी– तारापुर हाल मुकाम भोपाल जिला भोपाल
4. आशिष पिता चिरंजीवलालजी जाति छीपा बाडिका आयु–35 वर्ष निवासी– तारापुर हाल मुकाम भोपाल जिला भोपाल
5. गौरीशंकर पिता बद्रीलाल जी जाति छीपा बाडिका आयु–35 वर्ष निवासी– ग्राम तारापुर तहसील जावद म.प्र.
6. श्रीमती कंचनबाई पिता बद्रीलाल जी जाति छीपा लोबानिया, निवासी– मुकेरी गली सिहोर जिला सिहोर
7. श्रीमती कौशल्याबाई पिता बद्रीलाल जी पति भेलारामजी जाति छीपा नामदेव निवासी– मेनरोड़ मंडी के सामने सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.

...............अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जावद जिला नीमच ने प्रकरण कमांक 22/अपील/10–11 में दिनांक 21.06.2012 कों जो आदेश पारित किया हैं उससे असंतुष्ट होकर

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निगरानी माननीय न्यायालय में सादर प्रस्तुत हैं :–

निरंतर..2...

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2741-एक/12 **जिला** - नीमच

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	आवेदक अधिवक्ता श्री प्रताप मेहता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला नीमच के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	